

Office of the District Collector, Tonk

No.एफ 12(7)राजस्व/रूपान्तरण/14/

Dated:-

CONVERSION ORDER

On the application of आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अवधेश शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज0) agricultural land held by him in his khatedari tenancy is hereby converted for a non-agricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007. the particulars of which are given as under :-

1. Name of Applicant Khatedar/tenants with Father's/husband's name and complete address आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अवधेश शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज0)
2. Whether the applicant is a member of SC/ST नहीं
3. Details of the land converted :
 - (a) Name of the village/Gram Panchyat/ Tehsil ग्राम सदरपुरा, ग्राम पंचायत राजपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक
 - (b) Khasra No. of the land alongwith area of each Khasra No. (in hectare) खसरा नम्बर 872/3 रकबा 3.00 बीघा
 - (c) Area converted (in hectare or wq.mtr) ind खसरा नम्बर 872/3 रकबा 3.00 बीघा यानि 7587.84 वर्गमीटर भूमि
 - (d) Indicating the area of each Kharsa No. खसरा नम्बर 872/3 रकबा 3.00 बीघा यानि 7587.84 वर्गमीटर भूमि
- Note : A duly verified copy of the relevant part of revenue map showing the land converted for non-agricultural purpose is enclosed. संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार
4. Purpose of conversion संस्थागत प्रयोजनार्थ
5. Rate of Conversion charges payable 15.8147 रुपये प्रति वर्गमीटर से 7587.84 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण शुल्क 120000/-रुपये (डी एल सी दर 400000/- रुपये प्रति बीघा की दर से 7587.84 वर्गमीटर भूमि (3.00 बीघा) की कुल कीमत राशि 12,00,000/-रुपये पर 10 प्रतिशत रूपान्तरण शुल्क राशि 120000/- रुपये)
6. Amount of premium deposited with No. and date of challan मद 0029 भू राजस्व में चालान नं.009200019 दिनांक 15.1.16 (530/15.1.16) राशि 156450/-रुपये से दिनांक 15.1.16 को जमा रूपान्तरण शुल्क राशि 120000/-रुपये
7. Amount of penalty deposited, if any, with date and No. संपरिवर्तित उक्त भूमि 7587.84 वर्गमीटर में निर्मित क्षेत्र 768.28 वर्गमीटर भूमि की शास्ती राशि 36450/-रुपये (15.8147प्रतिवर्गमीटर की 3 गुणा शास्ती राशि 47.442 रुपये प्रति वर्गमीटर से

PHOTOCOPY ATTESTED

S.K. SHARMA (Reg.No. 14141)
NOTARY PUBLIC
Malpura, Dist- Tonk (Raj.)

01432-246377(O), 01432-243026(Fax), Email: dm-ton-rj@nic

768.28 वर्गमीटर भूमि की कुल शास्ति राशि 36450/-रुपये) जरिये चालान संख्या 0009200019 दिनांक 15.1.16 (530/15.1.16) राशि 156450/- रुपये से शास्ती राशि 36450/-रुपये जमा राजकोष राशि

8. Amount of interest deposited, if any, with date and no. of challan नहीं
9. Whether the order issued under Rule 13 for regularization. हाँ, निर्मित क्षेत्र 768.28 वर्गमीटर भूमि का नियमितकरण
10. Order particulars, if any नहीं
11. The above conversion order shall be subject to the following conditions :-
- (i) The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural - purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- (ii) If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- (iii) No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.
- (iv) No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultural purpose without valid permission from the prescribed Authority.
- (v) उक्त प्रयोजनार्थ भूमि का निर्माण इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डानुसार मालपुरा से सदरपुरा-देशमा डामरीकृत रोड के मध्य से नियमान्तर्गत निर्धारित दूरी छोड़ने की शर्त पर, रूपान्तरण किया जाता है। भविष्य में उक्त सड़क की चौड़ाईकरण या अपग्रेडेशन किया जाता है तो उस समय के नियम मान्य होंगे ।

- Sd -
District Collector
Tonk

No. एफ 12 (7) राजस्व/रूपान्तरण/14/ 552-557 Date :- 3-2-16
प्रति-निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक
2. उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा
3. तहसीलदार, मालपुरा जिला टोंक
4. सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक
5. आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अवधेश शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज0)
6. रक्षित पत्रावली

PHOTOCOPY ATTESTED
S.K. SHARMA (Reg.No. 14141)
NOTARY PUBLIC
Malpura, Distt- Tonk (Raj.)

District Collector(Revenue)
Tonk

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा (टोंक)

क्रमांक/राजस्व/रूपा10/2020/ 1355

दिनांक:- 23-6-20

रूपान्तरण आदेश

आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान जरिये निदेशक अवधेश शर्मा निवासी सदरपुरा तहसील मालपुरा राज. की कृषि भूमि जो स्वयं उसका स्वामी है तथा उसकी खातेदारी में है, को राजस्व नियम 2007 (कृषि भूमि का ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग) का रूपान्तरण किया जाता है। जिसका ब्योरा इस प्रकार है :-

1. आवेदक खातेदार का नाम मय पिता/

आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अवधेश शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा।
ग्राम सदरपुरा, तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

(मय पूरा पता)

2. क्या आवेदक एस.सी./एस.टी. का सदस्य है ?

नही

3. रूपान्तरित भूमि का ब्योरा :-

(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम :-
(ब) खसरा संख्या मय क्षेत्रफल :-
(स) रूपान्तरित क्षेत्र (हेक्टेयर या वर्ग मीटर में)

ग्राम सदरपुरा ग्रा0प0 ब्रजलालनगर तहसील मालपुरा
खसरा नम्बर 644/6 रकबा 0.09 बीघा
(1138.18 वर्गमी0)

प्रत्येक में प्रत्येक खसरे का ब्योरा:-

1138.18 वर्ग मीटर

नोट :- राजस्व नक्शे की कॉपी भी संलग्न करें) नक्शे की प्रति संलग्न है।

4. रूपान्तरण का उद्देश्य :-

संस्थागत प्रयोजनार्थ

5. देय रूपान्तरण राशि :-

22957/-

6. प्रीमियम की जमा राशि चालान संख्या

जी.आर.एन. न0 0017880261 दिनांक 19.07.2017 राशि 19900/-रू
जी.आर.एन. न0 40079191 दिनांक 19.06.2020 राशि 3057/-रू

अर्थदण्ड चालान तथा दिनांक (यदि कोई हो):- -

7. व्याज की राशि (यदि कोई हो):-

-

8. क्या आदेश नियम 13 के अन्तर्गत

-

नियमितिकरण के लिए किए गए हैं:-

9. अन्य कोई ब्योरा यदि कोई हो ?:-

-

10. उपरोक्त रूपान्तरण निम्न शर्तों के अधीन होगा :-

(अ) रूपान्तरित भूमि विना किसी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के अन्य किसी प्रयोग में नहीं ली जावेगी।

(ब) यदि आवेदक रूपान्तरित भूमि को पांच वर्ष के अन्दर सन्धिधित प्रयोग में नहीं लेता है तो आदेश वापस ले ली जायेंगे। और जमा राशि जप्त कर ली जायेंगी।

(स) नियम (4) में वर्णित किसी भी भूमि का अन्य कोई गैर कृषि प्रयोग नहीं होगा

(द) विना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के रूपान्तरित भूमि का प्रयोग अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं होगा, सिवाय जनोपयोगी उद्देश्य के लिए।

(य) इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन के नियमों व सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार सड़क के मध्य से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़ कर रूपान्तरण किया जाता है उक्त दूरी के बाद ही किसी तरह का निर्माण करें।

(र) आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण किये जाने की स्थिति में निर्माण किये जाने की स्थिति में निर्माण के प्लान की स्वीकृति।

(ल) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों तथा किये जाने वाले संशोधन एवं जारी आदेशों परिपत्रों आदि को मानने हेतु बाध्य रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी

मालपुरा

दिनांक:- 23-6-20

क्रमांक:- 1356-61 /राजस्व/रूपा10/2020

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक को सूचनाार्थ।

2. तहसीलदार तहसील मालपुरा को पालनार्थ।

3. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील मालपुरा।

4. ग्राम पंचायत बृजलालनगर।

5. पटवारी हल्का बृजलालनगर को पालनार्थ।

6. आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अवधेश शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा ग्राम सदरपुरा, तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा